सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 14.02.2025

01.थाना- फूलपुरः चोरी गये आभूषण के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि दिनांक 04/05-10-2024 की रात्रि में आवेदक श्री दुर्गा यादव पुत्र देबेन्द्र यादव ग्राम रीवां सुल्तानपुर थाना फूलपुर जिला-आजमगढ़ के नवनिर्मित मकान में अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर रखा अटेची को घर से बाहर बाग में ले जाकर बक्शा का ताला तोड़कर तथा अटैची खोलकर उसमें रखा दो चैन दो कम का झुमका व माँग टीका, पावजेब, करधन तथा दो हजार रुपया नकद चुरा ले गये, के संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 503/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत है तथा दिनांक 10/11.10. 2024 की रात्रि मे अज्ञात चोरो द्वारा संगीता बिन्द पत्नी सुरेश बिन्द ग्राम कौड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़ के घर के पिछली दीवार मे सेंध खोदकर वादिनी के घर मे घुसकर घर मे रखा बक्सा व अटैची से एक जोड़ी सोने का कान का झुमका व एक जोड़ी चाँदी की पायल तथा रूपया 43000/- नगद व कपड़े और जमीन घर के अदालती मुकदमे के जरूरी कागजात व अन्य अन्य महत्वपूर्व कागजात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 509/2024 धारा 305/331(4) बीएनएस पंजीकृत है। विवेचना व0 उ0नि0 श्री गंगा राम विन्द द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक-13.02.2025 को व0उ0नि0 श्री गंगा राम विन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमैर पुत्र खुर्शीद पता इस्लामपुरा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ को सहजेरपुर पुलिया गिट्टी बालू की दुकान के पास से समय करीब 00.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1 उमैर पुत्र खुर्शीद पता इस्लामपुरा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1.एक जोड़ी पायल सफेद धातु का छोटा

2.एक जोड़ी पायल सफेद धातु का बड़ा

3.2800/- रुपया नगद

4.एक अदद नुकिलादार लोहे का सब्बल (रम्मा)

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0-503/2024 की अग्रिम विवेचना धारा 305/317(2) बीएनएस फूलपुर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0-509/2024 अग्रीम विवेचना धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस फूलपुर आजमगढ़

02.थाना- कोतवालीः उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी दस्तावेज पेश करने वाला 01 अभ्यर्थी /अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण – उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 20 वीं वाहनी पीएसी में दौड़ परीक्षा के दौरान रजिस्ट्रेशन नबंर 11243222 , रोल नंबर 2608663 अभ्यर्थी आशीष कुमार चौबे पुत्र कन्हैया जी चौबे ग्राम छोडहर थाना बांसडीह जनपद बलिया उम्र 27 वर्ष का बायोमैट्रिक के दौरान फार्म में अपनी जन्मतिथि 08.09.1995 व दस्तावेज (मार्कशीट) में जन्मतिथि 08.09.1998 अंकित पाया गया । इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शशि मौलि पाण्डेय , का0 नीरज कुमार , का0 अखिलेश कुशवाहा , म0का0 अर्चना पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा मौके पर पहुंच कर आशीष कुमार चौबे उपरोक्त से पूछताछ करते हुये दिनांक 12.02.2025 को समय 15.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का विवरणः-

1. आशीष कुमार चौबे पुत्र कन्हैया जी चौबे ग्राम छोडहर थाना बांसडीह जनपद बलिया उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0सं0 83/24 धारा 318 (3)/338/336(2)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

03. थाना गम्भीरपुरः जुआ खेलने के दौरान तास के पत्ते व 18250 रूपये के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.25 को व.उ.नि.मिथलेश कुमार मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान रसूलपुर गोसाई की बाजार मेन हाइवे के पास से जुआ खेल रहें 04 व्यक्ति 1.जमालुद्दीन पुत्र स्व.सुकुरुल्ला निवासी ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमग उम्र लगभग 58 वर्ष जामा तलाशी से प्राप्त कुल 2300 रूपये जिसमे 500 रूपये की 04 नोट व 03 नोट 100 रूपये की 2.इरशाद पुत्र स्व.किताबुद्दीन निवासी ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमग उम्र 45 वर्ष की जामा तलाशी से कुल 3150 रूपये जिसमे 500 रूपये की 05 नोट ,100 रूपये की 06 नोट , 50 रूपये की 01 नोट 3 .मोहम्मद इश्लाम पुत्र स्व.मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम रसूलपुर दयद्रथयति थाना गम्भीरपुर जनपद आजमग उम्र 57 वर्ष जामा तलाशी से 1000 रूपये जिसमे 100 रूपये की 10 नोट 4.तरुण पुत्र स्व.आद्या दूबे निवासी अहिरौली थाना मेहनगर जनपद आजमग उम्र करीब 53 वर्ष जामा तलाशी से 3000 जिसमे 200 रूपये की 08 नोट ,500 रूपये की 02 नोट , 100 रूपये की 04 नोट बरामद हुआ मौके पर माल फड़ को वही से प्राप्त एक सफेद रंग के गमछा में 52 अदद ताश के पत्ते व फड में प्राप्त पैसे 8200 रूपये बरामद हुए। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 46/2025 धारा 13 जुआ अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1.जमालुद्दीन पुत्र स्व.सुकुरुल्ला निवासी ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमग उम्र लगभग 58 वर्ष ।

2. इरशाद पुत्र स्व.किताबुद्दीन निवासी ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष।

3 .मोहम्मद इश्लाम पुत्र स्व.मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम रसूलपुर दयद्रथयति थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

4.तरुण पुत्र स्व.आद्या दूबे निवासी अहिरौली थाना मेहनगर जनपद आजमग उम्र करीब 53 वर्ष ।

04थाना रौनापार

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त की जब्त की गयी एक ट्रैक्टर हुई नीलामी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में चलाये जा रहे गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) द0प्र0सं0 की कार्यवाही कर आपराध जगत से अर्जित सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही करने के आदेश के अनुपालन

में मु0अ0सं0 357/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त की धारा 14(1) द0प्र0सं0 के तहत जब्त वाहन एक मो0सा0 हिरो सुपर स्पलेन्डर नं0 UP50BU3219 तथा एक ट्रैक्टर UP50BD1285 को जब्त थाना प्रांगण में खड़ा किया गया था कि आदेशानुसार उच्चाधिकारीगण माल निस्तारण अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार आजमगढ़ के नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2025 को तहसीलदार सगड़ी आजमगढ़ की अध्यक्षता में थाना स्थानीय के अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूदगी में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 357/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त की धारा 14(1) द0प्र0सं0 के तहत जब्त वाहन एक मो0सा0 हिरो सुपर स्पलेन्डर नं0 UP50BU3219 तथा एक ट्रैक्टर UP50BD1285 का नियमानुसार निलामी की कार्यवाही किया गया जिसमे कुल 08 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मो0सा0 हिरो सुपर नं0 UP50BU3219 जिसका क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आजमगढ़ द्वारा न्यूनतम मूल्य 61,600/- रुपये तय किया गया था तथा पावर ट्रैक ट्रैक्टर नं0 UP50BD1285 जिसका मूल्य 3,25000/- निर्धारित किया गया था। नीलामी के क्रम मे मो0सा0 सुपर स्प्लेण्डर का न्यूनतम मूल्य अधिक होने के कारण किसी के द्वारा उक्त मो0सा0 को क्रय नही किया गया जबकि पावर ट्रैक्टर को 3,31000/- रुपये मे नीलामी किया गया।

जनपद –मऊ

1.यूपीआई के माध्यम से जमीन दिलाने के नाम पर फॉड की गयी कुल धनराशि 50,000/- रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा वापस कराया गया-

साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धरनाशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की साइबर टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से जमीन दिलाने के नाम पर भेजे गये, पीडित ज्ञानचन्द्र कनौजिया पुत्र स्व0 जगधारी कनौजिया निवासी सुन्दर नगर कॉलोनी ख्वाजाजहापुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुल 50000/- रुपये की धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, का0आ0 आशीष द्विवेदी, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

2.ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹10000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एफटीसी-1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 13-02-2025 को मु0अ0सं0 82/2021 के धारा 302 भादवि थाना कोतवाली में दोषसिद्ध अभियुक्त जमशेद उर्फ मिस्टर पुत्र स्व0 इस्तेयाक निवासी भरहू का पूरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹10000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली का सराहनीय योगदान रहा।

3.ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹1500 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय सिविल जज्(सी0डी0)/एफटीसी जनपद मऊ द्वारा दिनांक 12-02-2025 को मु0अ0सं0 47/1994 के धारा 380,411 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त रामसकल उर्फ सकल पुत्र रामचंदर यादव निवासी उसरी बुजगे थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹1500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

जनपद – बलिया

2. थाना गड़वार जनपद बलिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामकान्त के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2025 को थाना गड़वार पुलिस टीम के उ0नि0 श्री नीरज कुमार वर्मा मय हमराह फोर्स के साथ देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/2024 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट सें सम्बन्धित नामजद अभियुक्त मंजीत पुत्र जवाहिर राजभर निवासी ग्राम सिंहाचवर कला थाना गड़वार जनपद बलिया को थाना गड़वार क्षेत्र अन्तर्गत चिलकहर तिराहा के पास से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय जेल भेजा गया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. मंजीत पुत्र जवाहिर राजभर निवासी ग्राम सिंहाचवर कला थाना गड़वार जनपद बलिया

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 245/2024 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना गड़वार जनपद बलिया।

3.थाना दोकटी जनपद बलिया पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब/मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 नफर शराब तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से प्लास्टिक के झोले मे 35 अदद किंग फिशर बियर प्रत्येक 500ml कुल 17.5 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन के अनुपालन के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 फहीम कुरैशी व थानाध्यक्ष दोकटी के कुशल नेतृत्व में थाना दोकटी पुलिस टीम को मिली सफलता।

कार्यवाही का विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.02.2025 को थाना दोकटी पुलिस टीम के उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा मय हमराह प्र0उ0नि0 रंजीत कुमार थाना दोकटी जनपद बलिया द्वारा मादक पदार्थो की रोकथाम के अभियान हेतु चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व पेण्डिंग विवेचना में मामूर थे कि मुखबीर खास की सूचना पर लगन टोला बंधा चौकी क्षेत्र कस्बा लालगंज से एक नफर अभियुक्त अन्तोष कुमार पासी पुत्र स्व0 रामलखन पासी निवासी ग्राम मुरारपट्टी थाना दोकटी बलिया उम्र करीब 25 वर्ष के कब्जे से प्लास्टिक के झोले से कुल 35 अदद किंग फिशर बियर प्रत्येक 500ml कुल 17.5 ली0 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 025/25 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

4.थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा 10 लीटर अबैध कच्ची देशी शराब के साथ एक नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर महोदय श्री गौरव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिकन्दरपुर पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 13.02.2025 को थाना सिकन्दरपुर प्रभारी निरीक्षक विकास चन्द पाण्डेय मय टीम द्वारा चेकिंग सन्दिग्ध वाहन/ सन्दिग्ध व्यक्ति, तलाश वांछित वारण्टी करते हुए मुखवीर की सूचना पर बहदग्राम लिलकर विन्द टोला हल्का कठौड़ा से एक नफर अभियुक्ता शारदा देवी पत्नी कमलेश कश्यप सा0 लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को समय 08.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 लीटर अबैध कच्ची देशी शराब बरामद हुआ। अभियुक्ता के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 40/25 धारा 60Ex.Actपंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 40/25 धारा 60Ex.Actथाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शारदा देवी पत्नी कमलेश कश्यप सा0 लिलकर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

बरामदगी-

1. 10 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब

5. थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल कुमार झा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिकन्दरपुर महोदय श्री गौरव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिकन्दरपुर पुलिस को थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया क्षेत्र ग्राम खरीद मे हुए दोहरे हत्याकाण्ड के उपरान्त थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2025 धारा 103(1), 191(2),191(3),190,109,115(2),352,351(2),333,3(5),61(2) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार *

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2025 को थाना सिकन्दरपुर प्रभारी निरीक्षक विकास चन्द पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 36/2025 धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352,351(2), 333, 3(5),61(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता 1. मीना देवी पत्नी रामजीत यादव निवासिनी ग्राम खरीद थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम खरीद थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को मुखवीर की सूचना पर ग्राम खरीद थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया से आज दिनांक 13.02.2025 को समय 08.05 बजे गिरफ्तार किया गया व विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्ता उपरोक्त को मा0 न्यायालय बलिया भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 36/2025 धारा 103(1), 191(2), 191(3), 190, 109, 115(2), 352,351(2), 333, 3(5), 61(2) बी0एन0एस0 व बढ़ोत्तरी धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

गिरफ्तार वांछित अभियुक्ता-

1. मीना देवी पत्नी रामजीत यादव निवासिनी ग्राम खरीद थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम खरीद थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 399/24 धारा 115(2), 352,351(2), 191(2), 110,125 बी0एन0एस0 थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया

6.थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं आपराधियों के विरूद्ध तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) श्री कृपाशंकर के पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया मो0 फहीम कुरैशी एवं प्रभारी निरीक्षक श्री रामायण सिंह के नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस टीम को मिली सफलता।

घटना का विवरण-

दिनांक- 12.02.2025 को वादी मुकदमा द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र बावत प्रतिवादीगण सुरेश गोड पुत्र स्व0 मोहन गोड़,मंटु गोड पुत्र सुरेश गोड़,सोनू गोड़ पुत्र सुरेश गोड़, लक्ष्मण गोड़ पुत्र स्व0 मोहन गोड़ ,पन्ना लाल गोड़ पुत्र स्व0 मोहन गोड़ , सुरज गोड़ पुत्र सुरेश गोड़ , शिवजी गोड़ पुत्र पन्ना लाल गोड़ व पाँच व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी तथा वादी के परिवार पर धारदार हथियार, भाला,गड़ासा के साथ गाली देते हुए जान से मारने की नियत से वार करने व वादी मुकदमा की बहन के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/2025 धारा 109/118(1)/115(2)/352/351(3)/333/3(5)/74 BNS पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में थाना बैरिया पुलिस टीम के उ0नि0 श्री पन्नालाल मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा दिनांक 13.02.2025 को वांछित अभियुक्तगण की तलाश में उनके घर ग्राम चांदपुर दबिश देकर मुकदमें से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. सोनू गौड़ पुत्र सुरेश गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया 2.लक्ष्मण गौड़ पुत्र स्व0 राधा मोहन गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया 3.सुरेश गौड़ पुत्र स्व0 राधा मोहन गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया 4.मन्टू गौड़ पुत्र सुरेश गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया को कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 69/25 धारा 109/118(1)/115(2)/352/351(3)/333/3(5)/74 BNS थाना बैरिया, बलिया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सोनू गौड़ पुत्र सुरेश गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया
2. लक्ष्मण गौड़ पुत्र स्व0 राधा मोहन गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया
3. सुरेश गौड़ पुत्र स्व0 राधा मोहन गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया
4. मन्टू गौड़ पुत्र सुरेश गौड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया जनपद बलिया

वांछित अभियुक्तगण-

1. पन्ना लाल गोड़ पुत्र स्व0 मोहन गोड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया बलिया
2. सूरज गोड़ पुत्र सुरेश गोड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया बलिया
3. शिवजी गोड़ पुत्र पन्ना लाल गोड़ निवासी चांदपुर थाना बैरिया बलिया

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 025/25 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधिनियम थान दोकटी, बलिया